गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–4/ब1–10–05/2011, गृ0आ0 6838 पटना, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा बिहार पुलिस में आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बनायी गयी नियमावली के अन्तर्गत संशोधित प्रक्रिया जारी की गयी है ।

बिहार पुलिस में आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा ।

उक्त अधिसूचनाएँ आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं ।

लिखित प्रतियोगिता परीक्षा– बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी । लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी यथा – प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा । लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे ।

प्रारम्भिक परीक्षा– प्रारम्भिक परीक्षा में 100 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या–100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 1½ (डेढ़) घंटे की होगी । उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे । इसमें 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जायेंगे । प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 (बीस) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जायेगा । मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।

मुख्य परीक्षा– प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा । मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे ।

प्रथम पत्र 100 अंकों का सामान्य हिन्दी का 1½ (डेढ़) घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अहर्तांक 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा । सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जायेगा ।

द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से सम्बन्धित होगा । द्वितीय पत्र का पूर्णांक 100 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या– 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 1½ (डेढ़) घंटे की होगी ।

दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा । उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी ।

मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 (छः) गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जायेगा । अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।

पात्रता की जाँच– मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुतिलेखन, हिन्दी एवं अंग्रेज़ी के टंकण की जाँच के लिए निम्न परीक्षा ली जाएगीः

(क) हिन्दी श्रुतिलेखन– हिन्दी श्रुतिलेखन की जाँच 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा की जायेगी । उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जायेगा । अभ्यर्थियों को टंकण आरम्भ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जायेगा । श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी । श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

(ख) टंकण की जाँच– अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेज़ी में न्यूनतम 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10–10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा । इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी टंकण में पाँच प्रतिशत से अधिक और अंग्रेज़ी टंकण में 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिये अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा । निर्धारित 10 मिनट के समय में न्यूनतम 300 शब्दों से कम टंकित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

(ग) कम्प्यूटर ज्ञान की जाँच– उम्मीदवार के MS-Office (Word, Excel, Power Point) तथा Internet के व्यवहारिक ज्ञान की जाँच की जायेगी । इस जाँच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

मेधा सूची– अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी । लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे । समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में

उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे । इसके बावजूद भी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण–पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जानेवाली अन्तिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 32 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 40 प्रतिशत होगा ।

<u>अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–</u> अभ्यर्थियों का दिनांक 01.01.2018 अथवा इसके पूर्व इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को दिनांक–01.01.2018 अथवा इसके पूर्व कम्प्यूटर संचालन में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण–पत्र धारक होना अनिवार्य है ।

<u>अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक 01 जनवरी 2018 को):</u>

(1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष ।

(2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष ।

(3) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष ।

(4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए ।

<u>आरक्षणः–</u> बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे एवं इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा ।

अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी । तदनुरुप उनके लिए अनारक्षित